न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर R.A.S.

प्रकरण संख्या : 05/2012 राजस्व अपील

उनवान

1. मोहन पिता बालु तेली उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2. रामकरण पिता बालु तेली उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3. रामेश्वर पिता बालु तेली उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4. गोपाल पिता बालु तेली उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

–– अपीलार्थीगण

बनाम

1 सत्यनारायण पिता सुवालाल तेली उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 कैलाश पिता सुवालाल तेली उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3 सांवरमल पिता सुवालाल तेली उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4 देबीसिंह पिता बालु तेली उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
5 ग्राम पंचायत रायला जरिये सचिव अथवा सरंपच ग्राम पचांयत रायला, तह0 बनेडा जिला भीलवाडा

––रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामा. संख्या 3412 आदेश दिनांक 10.08.2011 ग्राम पंचायत रायला

उपस्थित –

1. श्री अमित कौठारी..... अपीलार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित
2. श्री कृष्ण कुमार जीनगर.....प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 उपस्थित
3. श्री अरूण चन्द्र देराश्री.....प्रत्यर्थी संख्या 05 उपस्थित

निर्णय

दिनांक – 26.09.2017

अपील के संक्षेप तथ्य यह है कि ग्राम पंचायत रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ने इन्तकाल संख्या 3412 के जरिये अपीलार्थीगण एंव प्रत्यर्थीगण संख्या 01 से 04 की सामलाती आराजी संख्या 1398 रकबा 01–11 बीघा का अकेले प्रत्यर्थीगण संख्या 01 से 03 फैसल करने में कानूनी भूल की है। इस कारण पारित आलोच्च आदेश इन्तकाल संख्या 3412 खिलाफ कानून होने से पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। अपीलार्थीगण एंव प्रत्यर्थीगण संख्या 04 एंव प्रत्यर्थीगण संख्या 01 से 03 मृतक बालु तेली के पुत्र व पोत्र होकर एक ही परिवार के सदस्य है। अपीलार्थी कम 01 ने विवादित आराजीयात मूल खातेदारान भंवरलाल, अनदीराम महाजन से बिल एवंज 400/– रू. में दिनांक 22.09.1975 को कय कब्जा प्राप्त कर मौके पर नौहरे व बाडे हेतु अपीलार्थीगण एंव प्रत्यर्थीगण संख्या 01 से 04 ने विभाजित कर आपस में दिये है। प्रत्यर्थीगण संख्या 01 से 03 ने दुर्भावना से प्रेरित हो अपीलार्थीगण को जबरन खरीदशुदा विवादित आराजियात जो पहले सें ही दिनांक 22.09.1975 को मूल खातेदार द्वारा बिकाव हो चुकी है तथा मौके पर अपीलार्थीगण एंव प्रत्यर्थीगण संख्या

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा राज.

01 से 04 ने अपने हिस्से की भूमियो पर काबिज हो बाडे के रूप में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, पर से जबरन बेदखल करने की नियत से पूर्व खातेदारान भवंरलाल, अनदीराम से पुनः बिकावनामा लिखा रजिस्ट्री करवा ली जो कि गलत व कानूनन रूप से अवैध है। इस आधार पर हल्का पटवारी रायला ने विवादित नामान्तकरण संस्थित कर अपीलार्थीगण के स्थान पर प्रत्यर्थीगण 01 लगायत 03 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु तथाकथित नामान्तरणकरण दर्ज कर भू–अभिलेख निरीक्षक से बाद जांच अधीनस्थ ग्राम पंचायत रायला को अंतिम निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया गया। इन तथ्यों की जानकारी किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रूटीपूर्ण दर्ज कर नामान्तकरण फैसल करवा लिया, जो कि विधि विरूद्ध होकर नामान्तकरण अपास्त योग्य है।

उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलार्थीगण को 28.08.2012 को हुई तथा उनके द्वारा नकल लेकर विहीत समयावधि में अपील पेश की है। विलम्बित अवधि के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रा.पत्र प्रस्तुत कर क्षम्य किये जाने का अनुरोध किया। प्रा.पत्र की ताईद में शपथपत्र भी पेश हुआ।

प्रकरण को दिनांक 01.10.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स की तल्बी की गई। दिनांक 30.10.2012 को प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 की और से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार जीनगर द्वारा अण्डर टेकिंग लेते हुए वकालत नामा दिनांक 14.12.2012 को प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रत्यर्थी क्रम 05 की और अधिवक्ता श्री अरूणचन्द्र देराश्री का वकालत नामा 30.10.2012 से प्राप्त होकर रेकार्ड पर उपलब्ध है। आदेशिका दिनांक 06.09.2013 से पत्रावली को बहस अन्तिम हेतु नियत किया गया। दिनांक 19.09.2017 को उभयपक्षो की और वकुलाय फरिकेन द्वारा प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसे रिकार्ड पर लिया गया।

उपस्थित अभिभाषकगण को सुना गया। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपनी और से प्रस्तुत बहस में कथन कर निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 3412 दिनांक 10. 08.2011 को फैसल किया गया। कानूनन जिसकी अपील 01 माह के अन्दर करनी थी, जो कि अपीलार्थी ने अपीलपत्र मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपीलार्थी ने दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र पैश किया, जिसमें जो कारण बताया गया है, जो संतोषपद्र नही होकर विधि का प्रतिपादित सिंद्धात है कि दफा 05 के प्रार्थनापत्र में अपीलांट को डे बाई डे का मय दस्तावेजात के समुचित कारण बताना अनिवार्य होता है, जैसा कि अपीलांट ने नही किया जो क्षम्य नही है। अतः दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र खारीज होने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता रेस्पोडेण्ड्स द्वारा बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बिकावनामा दिनांक 22.09.1975 अनरजिस्टर्ड है, जिसकी कानूनन तौर पर कोई मान्यता नही है। इसके विपरीत तथाकथित नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांकित 12.01.2011 के आधार पर फैसल किया गया है जो विधि का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि जब तक रजिस्टर्ड विक्रयपत्र सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त घोषित नही किया जाता तब तक

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा राज.

नामान्तरकरण निरस्त नही किया जा सकता है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से सव्यय खारीज फरमावी जावें। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण के लायक वकील के कथनो का खण्डन करते हुए अपने द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए जानकारी किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रूटीपूर्ण दर्ज कर नामान्तकरण फैसल करवा लिया, जो कि विधि विरूद्ध होकर नामान्तकरण अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजात, आधार राजस्व अभिलेखों का अध्ययन/परिक्षण किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। हम प्रत्यर्थीगण पक्ष के इस तर्क से सहमत है कि नामान्तकरण संख्या 3412 दिनांक 10.08.2011 को फैसल किया गया। कानूनन जिसकी अपील 01 माह के अन्दर करनी थी, जो कि अपीलार्थी ने अपीलपत्र मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपीलार्थी ने दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र पैश किया, जिसमें जो कारण बताया गया है, जो संतोषपद्र नही होकर विधि का प्रतिपादित सिंद्धात है कि दफा 05 के प्रार्थनापत्र में अपीलांट को डे बाई डे का मय दस्तावेजात के समुचित कारण बताना अनिवार्य होता है, जैसा कि अपीलांट ने नही किया, जो क्षम्य नही है। अतः दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र खारीज होने योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बिकावनामा दिनांक 22.09.1975 अनरजिस्टर्ड है, जिसकी कानूनन तौर पर कोई मान्यता नही है। इसके विपरीत तथाकथित नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांकित 12.01.2011 के आधार पर फैसल किया गया है जो विधि का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि जब तक रजिस्टर्ड विक्रयपत्र सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त घौषित नही किया जाता तब तक नामान्तरकरण निरस्त नही किया जा सकता है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

: : आदेश : :

अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होकर गलत तथ्यो पर आधारित प्रस्तुत हुई मानी जाकर एंव दफा 05 कानून मियाद अधिनियम प्रार्थनापत्र को प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण विलम्बित अवधि क्षम्य सिद्ध करने में असफल रहने से खारिज की जाकर ग्राम पंचायत रायला अपीलाधीन नामा. संख्या 3412 आदेश दिनांक 10.08.2011 को यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 26.9.2017 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा